



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्रमांक: 028/2017/BOS/03 (Part File)/241

तिथि : 08.06.2017

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2009 के अनुच्छेद 07.2 तथा 07.3 के आलोक में पी-एच.डी. दलित एवं जनजाति अध्ययन (सत्र 2012-13) के शोधार्थी सुश्री नीलिमा ताकसांडे तथा श्री नरेश कुमार साहू को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष स्थिति में 03 माह की अतिरिक्त अवधि शोध-प्रबंध जमा करने के लिए प्रदान की जाती है। इस अवधि के लिए इन्हें किसी प्रकार की फेलोशिप देय नहीं होगी।

उक्त अवधि के भीतर शोधार्थियों द्वारा शोध-प्रबंध जमा नहीं करने की स्थिति में उनका पी-एच.डी. का पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
09/06/17

प्रति: संबंधित शोधार्थी।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. प्रोफेसर/निदेशक, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सीदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र को उक्त प्रकरण सक्षम निकाय में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ।
4. परीक्षा विभाग।
5. अकादमिक विभाग।
6. वित्त विभाग।
7. पं. रा. सा. केंद्रीय पुस्तकालय।
8. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल